शेयरधारकों को सूचना

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 56(i) के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक निम्नलिखित कार्य करने के लिए **मंगलवार दिनांक 07 जुलाई 2026 को सुबह 11.00 (आइएसटी) बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से अपने शेयरधारकों की छब्बीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन करेगा ।

सामान्य कार्य

कार्यसूची मद संख्या 1

विचारार्थ और यदि उचित पाया गया, तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करें

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडआलोन एवं समेकित लाभ और हानि खाता एवं वार्षिक नकदी प्रवाह विवरण, बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, तुलन पत्र और खातों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के लिए उस तिथि को बैंक के लेखा-परीक्षित स्टैंडआलोन एवं समेकित तुलन पत्र एवं खातों पर चर्चा के अनुमोदन और उसे अंगीकरण करने के लिए ।

विशेष कार्य

कार्यसूची मद संख्या 2:

वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव/राइट इश्यू/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट/ईएसपीएस/एलआईसी और अन्य बीमा कंपनियों/म्यूचुअल फंड/क्यूआईबी को तरजीही आधार पर शेयर जारी करने या किसी अन्य तरीके या संयोजन के माध्यम से एक या एक से अधिक किश्तों में ₹5,000 करोड़ तक की इक्विटी शेयर पूँजी (शेयर प्रीमियम सहित, यदि कोई हो तो) जुटाना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना अथवा रहित **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 (विनियम) 2008 तक यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुक्रम में और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), भारत सरकार (जीओआइ), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और/या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो वांछित हों, के अनुमोदनों, सहमतियों और मंजूरियों की शर्त पर और उन अनुमोदनों को मंजूरी प्रदान करने में उनके द्वारा यथा निर्धारित निबंधनों, शर्तों और संशोधनों की शर्त पर जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत है और जो विनियमों के अनुपालन में है - यथा सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन 2018 (आइसीडीआर विनियम) जैसा कि आज की तिथि तक संशोधित है/दिशानिर्देशों, यदि कोई है, के अनुपालन में है तथा यह कि ये दिशानिर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (बीआर अधिनियम), सेबी (सूचीगत बाध्य बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (एलओडीआर) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों व अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों, जो समय समय पर जारी होते हैं, के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी की अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों द्वारा निर्धारित हैं, और जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर निर्धारित हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार की शर्त के आधार पर और विनियमन 4(ए) के प्रावधानों के अनुसार है, बैंक के शेयरधारकों की एतदर्थ व एतद्द्वारा सहमति से बोर्ड के निदेशक मंडल (आगे से जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का उपयोग करने हेतु बाद में गठित करता हो) को इस आशय से दी जाती है कि वे उस संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयरों (संचित/गैर संचित)/प्रतिभूतियों (वरीयता शेयरों की श्रेणी, ऐसे वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, क्या वे निरंतर हैं या मोचनीय हैं या अमोचनीय है, उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके आधार पर वरीयता शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का निर्गमण किया जाएगा - से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित (निश्चित आबंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और/या उस समय लागू कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों के प्रवर्गों और निर्गम के किसी हिस्से के प्रतिस्पर्धात्मक आधार सहित) कर सके और यह कार्य किसी प्रस्ताव दस्तावेज/या विवरणिका के ज़रिए या फिर भारत अथवा विदेश में इस प्रकार के अन्य दस्तावेज़ के ज़रिए होगा तथा प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर होगा और आज की तारीख में किसी भी हालत में रु. 5,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) से अधिक नहीं होगा व यह बैंक की कुल समग्र निर्गम में अधिनियम की धारा 3 (2ए) के अनुसार या फिर उस संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार, जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, बढ़ाई गई प्राधिकृत पूँजी की निर्धारित सीलिंग की हद तक जहाँ आबंटन एक या उससे अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआइ"), निजी व सार्वजनिक कंपनियों, निवेशक संस्थाओं, संघों, न्यासों, शोध संगठनों, योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआइबी") जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक ("एफआइआइ"), बैंक, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल निधियों, उद्यमी पूँजीगत निधियों, विदेशी उद्यम पूँजी निवेशकों, राज्य

औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या निवेशकों के किसी ऐसे प्रवर्ग को किया जा सकता है, वह भी इस तरह कि केन्द्र सरकार का बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में धारण सभी समय 52% से कम नहीं रहेगा, चाहे वह एक या अधिक भागों में हो और चाहे बट्टे पर हो या प्रीमियम दर पर या फिर बाजार दर पर जिन्हें बैंक द्वारा जैसे वह उचित समझे उस रूप में उक्त में से किसी को या संयुक्त रूप में विद्यमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार या आइसीडीआर विनियमों के अंतर्गत संस्थागत निवेशकों को बैंक के इक्विटी/वरीयता शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए यूनिफॉर्म लिस्टिंग करार के प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रावधानों (लिस्टिंग बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, ("एलओडीआर"), अधिनियम के प्रावधानों, विनियम के प्रावधानों, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003 के प्रावधान जो 2008 तक संशोधित हैं, आइसीडीआर विनियमन के प्रावधानों, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबन्धन (गैर कर्ज लिखत) नियम 2019, एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रवर्तन विभाग और यथा वांछित अनुसार अन्य सभी प्राधिकारियों (आगे जिनका "समुचित प्राधिकारीगण" के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) दिये जाने वाले आवश्यक अनुमोदनों, सहमतियों, अनुमतियों और/या मंजूरियों, की शर्त पर और उन शर्तों पर जोकि ऐसे अनुमोदन, ऐसी सहमति, अनुमति/या मंजूरी (आगे से जिसे "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत निश्चित करता है, ईक्विटी शेयरों या किन्ही भी प्रतिभूतियों को एक या अधिक किस्तों में समय समय पर निर्गमित प्रस्तावित तथा आबंटित किया जा सकता है केवल उन वारंटों को छोड़कर जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों के साथ विनिमयित किये जा सकते है या परिवर्तित किये जा सकते हैं, वह भी इस तरह कि किसी भी समय केन्द्र सरकार का धारण बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी में 52% से कम न हो और यह प्लेसमेंट या आबंटन क्यूआइबियों (आइसीडीआर विनियमन के अध्याय 2 (एसएस) नियम के अनुसार) को, योग्यताप्राप्त संस्थात्मक प्लेसमेंट (क्यूआइपी) होने के अनुक्रम में जैसा कि आइसीडीआर विनियमन और/या प्लेसमेंट दस्तावेज़ और/या ऐसे अन्य दस्तावेज़ों/लेखनों/परिपत्रों/ज्ञापनों के द्वारा तथा ऐसे रूप में और ऐसे मूल्य पर, निबंधनों और शर्तों पर , जो कि आइसीडीआर विनियमनों के भाग 6 के अनुसार या कानून के उन अन्य प्रावधानों के अनुसार जो कि उस समय विद्यमान है, बोर्ड द्वारा निश्चित किये गये हैं, बशर्ते इस प्रकार निर्गमित इक्विटी शेयरों का प्रीमियम सहित मूल्य आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो।"

संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना), सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (एलओडीआर), इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2003, यथा संशोधित 2008 (विनियम) और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंजों) के साथ एलओडीआर के अनुसार किए गए समान सूचीकरण समझौतों (इसमें किसी भी संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अधीन और सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के विनियम 4ए (समय-समय पर किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) ("सेबी विनियम") के प्रावधानों के अनुसार, और आरबीआई, भारत सरकार, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज (जहां भी लागू हो) जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, की स्वीकृति, सहमति और अनुमोदन के अधीन, और किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी स्तर पर दिए गए किसी भी लागू अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति के अधीन, और ऐसे प्राधिकरणों द्वारा ऐसे अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निर्धारित या लागू की गई किसी भी शर्त और संशोधन के अधीन 2026-27 में एक या एक से अधिक किश्तों में, बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा बैंक के कार्यपालक निदेशक (निदेशकों) सहित बैंक के ऐसे स्थायी कर्मचारियों को, चाहे वे भारत में कार्यरत हों या भारत के बाहर, (जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है), बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार से तय की गई ऐसी शर्तों और नियमों पर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ लाभांश का भुगतान सहित बोर्ड द्वारा कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना के तहत तय किए गए सभी प्रयोजनों और सभी मामलों में समतुल्य रैंक पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाता है व बोर्ड को कर्मचारी शेयर खरीद योजना (जिसे इसके बाद आइओबी-ईएसपीएस कहा जाएगा) के तहत इस प्रकार कि भारत सरकार के पास हर समय बैंक की चुकता इक्विटी पूँजी के 52% से कम न हो (शेयर प्रीमियम सहित), बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समतुल्य, ₹10/- (केवल ₹10) अंकित मूल्य के 10,00,00,000 (दस करोड़) नए इक्विटी शेयर सृजित करने, स्वीकृत करने, पेशकश करने, निर्गमित करने और आवंटित किए जाने को एतद्द्वारा सहमति प्रदान की जाती है, जो कुल सीमा ₹5,000 करोड़ के अधीन हो ।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन को एक या अधिक किश्तों में या सार्वजनिक प्रस्ताव के अनुवर्तन/अधिकार मामले/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट/सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के तहत कर्मचारियों को शेयर जारी करने/एलआइसी और अन्य बीमा कंपनियों को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करने/म्यूचुअल फंड/क्यूआइबी या किसी अन्य मोड या उसके संयोजन के माध्यम से या अति आबंटन के विकल्प सहित या विकल्प के बिना किया जाएगा और इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन बंकिंग कंपनी (उपक्रमों

का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियमन, 2018 ("आइसीडीआर विनियमन") और भा.रि.बैं, सेबी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों तथा उस समय प्रभावी किसी अन्य प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों और ऐसी पद्धति में जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझता हो, ऐसे समय या समयों पर और ऐसे निबंधनों व शर्तों पर किया जाएगा ।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि अग्रणी प्रबंधकों और/या अधोलेखकों और/या अन्य सलाहकारों अथवा अन्यथा के साथ जहाँ आवश्यक हो वहॉ परामर्श करके ऐसे किसी रूप में जिसे वह उचित समझे, ऐसे मूल्य या मूल्यों को निश्चित करने का प्राधिकार बोर्ड को होगा, और उन निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा, जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आइसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों अथवा अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों के अनुसार निश्चित करता है चाहे ऐसे निवेशक बैंक के वर्तमान सदस्य हों कि नहीं और मूल्य का नियतन आइसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होगा।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए एकीकृत सूचीबद्धता करार और अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों व विनियमनों के नियम व शर्तों के अनुसार बोर्ड को एतद्द्वारा वैसे स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, को जारी किए गए एक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु प्राधिकृत किया गया है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि अहर्ताप्राप्त संस्थागत संस्थान (क्यूआइपी) के मामले में आइसीडीआर विनिमयनों के अध्याय VI के अनुसरण में:

क) आइसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अर्थ के भीतर केवल योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए प्रतिभूतियों का आवंटन होगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से भुगतान की जाएंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख) आइसीडीआर विनियमों के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक फ्लोर प्राइस पर पांच प्रतिशत की अधिकतम छूट तक शेयरों को ऑफर करने के लिए अधिकृत है जैसा कि विनियमनों के अनुसरण में निर्धारित किया गया है।

ग) प्रतिभूतियों के फ्लोर प्राइस के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि आइसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बैंक एसईबीआई (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-एक्विटी) विनियम, 2021 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों या इसके किसी भी वैधानिक संशोधन, परिवर्तन या पुनर्अधिनियमन का पालन करेगा।

साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के नियमों और शर्तों में कोई भी संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, बदलाव या पुनरीक्षण करने के लिए, जिसमें मूल्य, अवधि, पात्रता मानदंड से संबंधित संशोधन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, या "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" को निलंबित करने, वापस लेने, समाप्त करने या संशोधित करने के लिए, ऐसे तरीके से जैसा बोर्ड अपने विवेक से निर्धारित करे बोर्ड द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों पर "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" को लागू करने, तैयार करने, विकसित करने, निर्णय लेने और प्रभावी बनाने के लिए अधिकृत किया जाता है, और "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के कार्यान्वयन और प्रस्तावित "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के अनुसार जारी किए जाने वाले शेयरों के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों, कठिनाइयों या शंकाओं को बिना किसी और सहमति या अनुरोध के हल करने के लिए भी अधिकृत किया जाता है व ऐसा माना जाएगा कि शेयरधारकों की स्वीकृति या अन्यथा इस उद्देश्य और इरादे से कि शेयरधारकों को इस प्रस्ताव के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है ।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड के पास प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार और शक्ति होगी जैसा कि भारत सरकार/आरबीआइ/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा उनकी मंजूरी, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते/देते समय इश्यू, आबंटन या उसे सूचीबद्ध करने के लिए अपेक्षित या आरोपित किया जा सकता है और जैसा कि बोर्ड द्वारा माना गया है और इस संबंध में बैंक के शेयरधारकों से किसी और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीय/एफआइआइ तथा/या अन्य पात्र विदेशी निवेश को ऐसे आबंटन और निर्गमन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की शर्त पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत किया जाएगा परंतु अधिनियम एवं लगा होने वाले अन्य नियमों के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर लागू अनुसार ही किया जाएगा ।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का निर्गम और आबंटन, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 जैसा समय-समय पर संशोधित विनियमों के अधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से समान रूप से रैंक करेगा, जिसमें घोषित लाभांश, यदि कोई हो तो

वैधानिक दिशानिर्देश जो इस तरह की घोषणा के समय लागू होते हैं, के अनुसार होगा ।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी भी मुद्दे या आवंटन को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड को सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसमें निवेशकों की श्रेणी भी शामिल है, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं। प्रत्येक किश्त में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और ऐसे कार्यों, दस्तावेजों और समझौतों को निष्पादित करें, जैसा कि वे अपने पूर्ण विवेक से, आवश्यक, उचित या वांछनीय समझते हैं, और पब्लिक ऑफर, इश्यू, आवंटन और इश्यू से प्राप्ति के उपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाइयों या संदेह को निपटाने या निर्देश देने के लिए निर्देश या निर्देश दे सकते हैं। नियमों और शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विविधताओं, परिवर्तनों, विलोपन, परिवर्धन को स्वीकार करने और प्रभावी करने के लिए, जैसा कि यह, अपने पूर्ण विवेक में, बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे, बिना शेयरधारकों के किसी और अनुमोदन की आवश्यकता के इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति का बोर्ड द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि किसी बुक रनर(रों), लीड मैनेजर(रों), बैंकर(रों), अंडरराइटर(रों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), ऑडिटर(रों) और ऐसी सभी एजेंसियो के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं में शामिल होने और निष्पादित करने के लिए, जो इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हैं और ऐसी सभी संस्थाओं और एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या इसी तरह की पारिश्रमिक देने के लिए और ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि में प्रवेश करना और उन्हें निष्पादित करने के लिए बोर्ड अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि उपरोक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझने पर शेयर/प्रतिभूतियां आवंटित किए जाने वाले निवेशकों के वर्ग सहित लीड मैनेजर्स, अंडरराइटर्स, सलाहकारों और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण/वारंटों के प्रयोग/प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के रूपांतरण या मोचन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण पर प्रीमियम, ब्याज दर, रूपांतरण की अवधि, रिकॉर्ड तिथि या बुक क्लोजर का निर्धारण और संबंधित या आकस्मिक मामले निर्गम(ओं) के स्वरूप और शर्तों का निर्धारण, भारत में और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग करने के लिए बोर्ड को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से अनभिदत्त शेयर/प्रतिभूतियां, को बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले तथा कानून द्वारा अनुमेय तरीके से निपटाया जा सकता है तथा बोर्ड उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक/निदेशकों अथवा इसके पश्चात गठित निदेशक समिति को इसमें प्रदत्त सभी अथवा किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित करते हेतु उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।"

"साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड बैंक के किसी निदेशक(कों) की किसी समिति, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) अथवा इस तरह के किसी अन्य अधिकारी को जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे, लागू सभी नियमों का अनुपालन करते हुए उपर्युक्त संकल्पों को पारित करने के उद्देश्य से अपनी सभी अथवा कुछ विवेकाधीन शक्तियों को प्रत्यायोजित करने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जा सकता है ।

कार्यसूची मद संख्या 3:

31.03.2026 तक संचित हानियों का शेयर प्रीमियम खाते से विनियोजन

विचारार्थ एवं उपयुक्त समझे जाने पर निम्नलिखित **विशेष संकल्पों** को अनुमोदन को पारित करें:

संकल्प लिया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) की धारा 3(2बीबीए), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 17(2), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैरा 21, जिसमें इसके सभी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन शामिल हैं, के अनुसार और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा इस संबंध में आवश्यक अन्य प्राधिकारियों की स्वीकृति के अधीन, बैंक के शेयरधारकों की सहमति से बैंक के संचित घाटे ₹8733,34,22,563.02 (आठ हजार सात सौ तैंतीस करोड़ चौंतीस लाख बाईस हजार पांच सौ तिरसठ और दो पैसे मात्र) को 31.03.2026 तक शेयर प्रीमियम खाते में जमा समतुल्य राशि का उपयोग करके समायोजित किया जाए एवं इसे बैंक के 31 मार्च 2026 तक के शेष को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखांकन में लिया जाए ।

साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बैंक के निदेशक मंडल को यह अधिकार दिया जाता है कि वह संकल्प को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान

करने के लिए, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, सभी आवश्यक या वांछनीय समझे जाने वाले कार्य, कृत्य, मामले और चीजें करे।

कार्यसूची मद संख्या 4:

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, का बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्यकाल, उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल, जो 31.12.2025 को समाप्त हो गया था, से आगे बढ़ाकर 01.01.2026 से 08.10.2027 तक किया जाए।

विचारार्थ एवं उपयुक्त समझे जाने पर निम्नलिखित **सामान्य संकल्पों** को अनुमोदन को पारित करें:

"संकल्प लिया जाता है कि सेबी (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम (1सी) के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (दिनांक 17.11.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) के अनुच्छेद 8(1) के साथ पठित, केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना ईएफ. संख्या 4/3/2024 बीओ.आई दिनांक 8 सितंबर 2025 के माध्यम से, उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल (जो 31.12.2025 को समाप्त हुआ) से आगे, उनके 10 वर्ष के कार्यकाल की पूर्णता की तिथि तक बढ़ाया जाता है। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में, यानी 01.01.2026 से 08.10.2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

निदेशक मण्डल की ओर से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

-ह/-
रघुराम मल्लेला
उप महा प्रबंधक व कंपनी सचिव

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 21-05-2026

नोट्स

क) व्याख्यात्मक कथन(नों):

बैठक की कार्रवाई के संबंध में भौतिक तथ्यों को बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण एतदर्थ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

ख) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी मास्टर परिपत्र संख्या एचओ/49/14/14(7)2025- सीएफ़डी-पीओडी 2/आई/3762/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026 ("एसईबीआई परिपत्र") के अनुक्रम में और अधिनियम तथा एसईबीआई (सूचीगत बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की सामान्य वार्षिक बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसके लिए सदस्यों की किसी सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। एजीएम के लिए माना गया स्थान चेन्नै स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा। नोटिस में उल्लिखित विशेष कार्य अपरिहार्य होने के कारण, बैंक की 26वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा।

बैंक एमसीए परिपत्रों में उल्लिखित सभी प्रावधानों का पालन कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बैंक ने बैठक की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की है।

बैंक ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को एजीएम हेतु वीसी/ओएवीएम सुविधा प्रदान करने और एजीएम के आयोजन करने हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है ।

सेबी एवं एमसीए के उपर्युक्त परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 सहित एजीएम नोटिस की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रेषित की जाएगी जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपोजिटरी के पास पंजीकृत हैं । शेयरधारक यह नोट करें कि यह नोटिस बैंक की वेबसाइट www.iob.bank.in पर अपलोड किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 सहित नोटिस को स्टॉक एक्सचेजों यानि नेशनल स्टॉक़ एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.nseindia.com एवं www.bseindia.com से प्राप्त किया जा सकता है एवं एजीएम नोटिस सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ग) भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक एजीएम नोटिस प्राप्त करने हेतु https://wisdom.cameoindia.com लिंक पर क्लिक कर अस्थाई रूप से अपना ईमेल आइडी पंजीकृत कर सकते हैं।

घ) मताधिकार:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 2 के उपखंड 2ई के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपनी कितनी भी शेयरधारिता के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकारों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत नहीं होंगे ।

निर्धारित की गई **अंतिम तिथि मंगलवार, दिनांक 30 जून 2026**, जो अंतिम तिथि होगी तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक उपर्युक्त उद्देश्य के लिए एजीएम में प्रतिभागिता के लिए पात्र होंगे । भौतिक अथवा अमूर्त रूप में शेयरों को धारण करने वाले बैंक के शेयरधारक अंतिम तिथि तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2003 के विनियम 10 के अनुसार मतदान के संबंध में किसी भी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में जिस व्यक्ति का नाम पंजी में पहले दर्ज़ होगा उसे ही मूल धारक समझा जाएगा। अत: शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर होने की स्थिति में केवल पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में सहभागिता का हकदार होगा और केवल वह ही दूरस्थ माध्यम से कार्यसूची पर या तो ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा।

ड़) दूरस्थ ई- वोटिंग

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44, एमसीए (कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय) के

सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी मास्टर परिपत्र संख्या एचओ/49/14/14(7) 2025-सीएफ़डी-पीओडी 2/आई/3762/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026 तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ समान सूचीकरण समझौतों के अनुसार, आपके बैंक को शेयरधारकों को नोटिस में उल्लिखित मद पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसके लिए बैंक ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) को दूरस्थ ई-मतदान मंच प्रदान करने के लिए ई-मतदान एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है । दूरस्थ ई-मतदान वैकल्पिक है । शेयरधारकों/स्वामित्व लाभार्थी के ई-मतदान अधिकारों की गणना उनके द्वारा सोमवार, जून को धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी । इस उद्देश्य के लिए **अंतिम तिथि मंगलवार, 30 जून, 2026** निर्धारित की गई है । अंतिम तिथि तक बैंक के जिन शेयरधारकों के पास भौतिक या अमूर्त रूप में शेयर हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं । बैंक ने आर. श्रीधरन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज (एफसीएस नंबर 4775) (सीपी नंबर 3239) के श्री आर. श्रीधरन को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ-साथ सामान्य वार्षिक बैठक (एजीएम) की तिथि पर ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

1. ई-वोटिंग एवं वर्चुअल एजीएम से जुडने के लिए शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:

माध्यम 1: डीमैट मोड में शेयर रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पहुंच।

माध्यम 2: भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट मोड में गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

i. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शुक्रवार, दिनांक 03 जुलाई 2026 को सुबह 09.00 (आइएसटी) बजे से शुरू होगी और सोमवार दिनांक 06 जुलाई 2026 को सायं 05.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त होगी ।** इस अवधि के दौरान निर्धारित की गई **अंतिम तिथि 30 जून 2026 तक** भौतिक अथवा अमूर्त रूप में बैंक के शेयर धारित करने वाले शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

ii. ऐसे शेयरधारक जो बैठक तिथि से पहले ही मतदान कर चुके हैं, वे इस बैठक में मतदान के हकदार नहीं होंगे।

iii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है ।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं । इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आइडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है ।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग हेतु सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी।

iv) सेबी मास्टर परिपत्र संख्या एचओ/49/14/14(7)2025-सीएफ़डी-पीओडी 2/आई/3762/2026 दिनांक 30 जनवरी 2026 के खंड VI-वी के अनुसार, एसईबीआई एलओडीआर विनियम, 2015, संशोधित प्रावधानों के अनुपालन में, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है । शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतित करें ।

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, **डीमैट मोड सीडीएसएल/एनएसडीएल में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि** नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
सीडीएसएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1) जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल इज़ी/इजिएस्ट फैसिलिटी का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आइडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं । वहाँ बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा । ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग इन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग-इन आइकन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें। 2) सफल लॉगिन के बाद ईज़ी/ईज़ीएस्ट उपयोगकर्ता जहां ई-वोटिंग चल रही है ऐसी कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे । ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3) यदि उपयोगकर्ता ईज़ी/ईज़ीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीएसडीएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉग-इन और न्यू सिस्टम माईइजी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4) वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं । ई-वोटिंग प्रणाली पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जोकि डीमैट खाते में दर्ज़ है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित कर सकेंगे । सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता उस ई-वोटिंग विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहाँ वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली को सीधे एक्सस करने में भी सक्षम होगा ।
एनएसडीएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	1) यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आइडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जाएं । पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करें । एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आइडीईएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है। । एक नई स्क्रीन खुलेगी । आपको अपना यूज़र आइडी और पासवर्ड डालना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे । ई-वोटिंग सेवाओं के तहत 'एक्सेस टू ई-वोटिंग' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदता वेबसाइट पर पुन: निर्देशित किया जाएगा। 2) यदि उपयोगकर्ता आइडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है । "आइडीईएएस" पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें ।

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन प्रक्रिया
	3) पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर वेब ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित URL टाइप करके https://www.evoting.nsdl.com/एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं । ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है । एक नई स्क्रीन खुलेगी । जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, आपको अपना यूजर आइडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज़ करना होगा । सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। 4) ओटीपी-आधारित लॉगिन के लिए, आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं । आपको अपना 8-अंकों का डीपी आइडी, 8-अंकों का क्लाइंट आइडी, पीएएन नंबर, सत्यापन कोड डालना होगा और ओटीपी जेनरेट करना होगा । अपने रजिस्टर्ड ईमेल आइडी/मोबाइल नंबर पर मिला ओटीपी डालें और लॉग-इन पर क्लिक करें । सफल प्रमाणिकरण के बाद, आपको एनएसडीए डिपॉजिटरी साइट पर पुन:निर्देशित कर दिया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा देने वाली कंपनी के नाम पर क्लिक करें; ऐसा करने पर आपको ई-वोटिंग सेवा देने वाली कंपनी की वेबसाइट पर पुन:निर्देशित कर दिया जाएगा, जहाँ आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं, या ऑनलाइन बैठक में शामिल होकर बैठक के दौरान वोट कर सकते हैं ।
वैयक्तिक शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) अपने **डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी)** के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं ।	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं । सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे । एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं । कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा ।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए विकल्प का उपयोग करें।

लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क डिपाजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या आने पर helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या आने पर evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री नंबर 022 4886 7000 और 022 2499 7000 पर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं

v. भौतिक शेयरधारकों और डीमैट रूप में वैयक्तिक धारिता के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति ।

1) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए ।

2) "शेयरधारक" मॉड्यूल पर क्लिक करें।

3) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें

ए. सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,

बी. एनएसडीएल के लिए: 8 अक्षरों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी,

सी. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर प्रविष्ट करना चाहिए।

4) इसके बाद प्रदर्शित इमेज़ वेरिफिकेशन की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

5) यदि आपके पास डीमैट रुप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग इन कर किसी कंपनी के पूर्व ई-वोटिंग में वोट किया है, तब आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जाना है ।

6) यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तो निम्नलिखित का पालन करें:

डीमैट में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा और भौतिक रुप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों के लिए।	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10-अंकीय अल्फा-न्यूमेरिक *पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमैट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक शेयरधारकों के लिए लागू) · जिन शेयरधारकों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)	लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में प्रविष्ट लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें। · यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास प्रविष्ट नहीं हैं, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो नंबर प्रविष्ट करें।

vi. इन विवरणों को उचित रूप से भरने करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

vii. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे । हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक अब 'पासवर्ड क्रिएशन' मेनू पर पहुंचेंगे, जहां उन्हें नए पासवर्ड फ़ील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के संकल्पों के लिए वोटिंग के लिए भी किया जाना है, जिस पर वे वोट करने के पात्र हैं, बशर्ते कि वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ई - वोटिंग का विकल्प चुनते हो। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

viii. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस नोटिस में निहित संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

ix. एजीएम 2026 के एजेंडे की ई-वोटिंग के लिए ईवीएसएन 260606001 पर क्लिक करें।

x. वोटिंग पेज पर आपको "संकल्प विवरण" दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए "हाँ /नहीं" विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प चुनें। "हाँ " विकल्प का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत हैं और "नहीं" विकल्प का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं।

xi. यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो "रिज़ॉल्यूशन फ़ाइल लिंक" पर क्लिक करें।

xii. संकल्प पर चयन के बाद आपको वोट डालने का निश्चय करना है और फिर, "सबमिट" पर क्लिक करना है। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने मत को पुष्ट करना चाहते हैं, तो "ओके" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "कैंसल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें ।

xiii. एक बार संकल्प पर अपना वोट "पुष्टि" करने के बाद, आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

xiv. आप मतदान पृष्ठ पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

xv. यदि कोई डीमैट खाताधारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, तो उपयोगकर्ता आईडी और इमेज़ वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करें और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण प्रविष्ट करें।

xvi. यदि कोई बीआर/पीओए अपलोड किया गया है तो अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी है, जिसे जांचकर्ता को सत्यापन के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

ऐसे शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं, इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया:

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए - कृपया ऑनलाइन निवेशक पोर्टल https://wisdom.cameoindia.com/ पर लॉग इन करके आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें ।

2. डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) सहित अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।

3. वैयक्तिक डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें, जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।

वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नवत हैं:

1. एजीएम के दिन बैठक में भाग लेने एवं ई-वोटिंग में उपस्थिति रहने का वही अनुदेश है, जो ई-वोटिंग के लिए उल्लेखित है ।

2. ई -वोटिंग के लिए उक्त उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के पश्चात, जहां बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा वही बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध रहेगा ।

3. शेयरधारको को सुझाव दिया जाता है कि कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से जुड़े ।

4. आगे शेयरधारकों को बैठक के दौरान कैमरा की अनुमति देना आवश्यक होगा और किसी व्यवधान से बचने के लिए अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करें ।

5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण दृश्य/श्रव्य बाधा का अनुभव हो सकता है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि किसी भी तरह की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें ।

6. शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं । वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 1,000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य कार्मिक प्रबंधक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें बिना किसी प्रतिबंध के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

7. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखकर अपना अनुरोध भेजकर वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। **वक्ता शेयरधारकों के पंजीकरण की प्रक्रिया 26 जून, 2026 से 02 जुलाई 2026 तक** खुली रहेगी। जो शेयरधारक सामान्य वार्षिक बैठक में बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ प्रश्न हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखकर **02 जुलाई, 2026** तक अपने प्रश्न investor@iob.bank.in पर भेज सकते हैं। बैंक द्वारा इन प्रश्नों का उचित उत्तर ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा।

8. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत कराया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

9. इण्डियन ओवरसीज बैंक शेयरधारकों को (शेयर व बैठक) विनियमन, 2003 के नियम 58 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में प्रतिभागिता करने शेयरधारको की गिनती गणपूर्ति के उद्देश्य से की जाएगी ।

10. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

11. एक बार जब कोई सदस्य किसी संकल्प पर वोट डाल देने के पश्चात, उसे सदस्य न परिवर्तन कर सकते हैं या न ही पुनः वोट डाल सकते हैं ।

12. यदि शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई वोट डाला जाता है और यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अवैध माना जाएगा, क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध है।

13. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

अवैयक्तिक शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए नोट - केवल रिमोट वोटिंग के लिए

- अवैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात, वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षक www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और स्वयं को «कॉरपोरेट» मॉड्यूल में पंजीकृत करें ।

- पंजीकरण फॉर्म की स्कैन की गई प्रति, जिस पर संस्था की मुहर और हस्ताक्षर अंकित हो, उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें ।

- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालित उपयोगकर्ता सृजन करें। अनुपालित उपयोगकर्ता उस खाते को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।

- लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप हो जाएगी और गलत मैपिंग होने पर इसे अनलिंक किया जा सकता है।

- बोर्ड के संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन की गई प्रति, जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है , यदि कोई हो, तो उसे पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड किया जाना आवश्यक है ताकि जांचकर्ता उसे सत्यापित कर सकें।

- वैकल्पिक रूप से, गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि, साथ ही मतदान के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, जांचकर्ता को rsaevoting@gmail.com पर और बैंक को ईमेल पते investor@iob.bank.in पर भेजें, और यदि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मतदान किया है और इसे सीएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है, तो इसकी एक प्रति भी भेजें ताकि जांचकर्ता इसका सत्यापन कर सके।

- वैकल्पिक रूप से, अवैयक्तिक शेयरधारकों को जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें सम्बंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर उनके नमूना हस्ताक्षर को सत्यापन के बाद संवीक्षक को अनिवार्य रुप से भेजें यदि वह वैयक्तिक टैब पर दिए गए हैं और सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया है तो बैंक को मेल यानी investor@iob.bank.in पर भेजें साथ ही कॉपी rsaevoting@gmail.com को मार्क करें ।

यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं ।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स , मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400 013 को कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर कॉल कर सकते हैं।

च) प्रॉक्सी की नियुक्ति:

सेबी एलओडीआर विनियमन, 2015 के विनियम 44(4) के नियम के अनुसार, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति खत्म कर दी गई है, इसलिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अत: इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2003 के नियम 70 के तहत सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी । इसलिए, प्रॉक्सी नियुक्त करने का लिख्त और उपस्थिति पर्ची इसके साथ संलग्न नहीं की जा रही है । हालांकि, सदस्यों के प्रतिनिधि को रिमोट ई-वोटिंग के ज़रिए वोटिंग के लिए वीसी/ओएवीएम सुविधा के ज़रिए एजीएम में हिस्सा लेने के लिए और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए नियुक्त किया जा सकता है ।

छ) अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी बॉडी कॉरपोरेट, जो बैंक का शेयरधारक है, के सही तरीके से अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर मीटिंग में शामिल होने या वोट देने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे सही तरीके से अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक के अध्यक्ष ने प्रमाणित किया हो जिसमें इसे पास किया गया था, संवीक्षक को उनके रजिस्टर्ड ईमेल पते पर rsaevoting@gmail.comपर ईमेल से भेजी गई हो, जिसकी कॉपी investor@iob.bank.in पर वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख यानी गुरुवार, 02 जुलाई 2026 को शाम 4:00 बजे (आइएसटी) तक उसे पहले कम से कम चार दिन पहले भेजी गई हो ।

ज) पता परिवर्तन/बैंक विवरण/बैंक खाता अधिदेश/ नामांकन:

सदस्यों से निवेदन है कि वे अगर उनके नाम, डाक पता, ई-मेल एड्रेस, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी अकाउंट नंबर (पीएएन), अधिदेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआइसीआर कोड, आइएफएससी कोड, आदि में कोई बदलाव हुआ है, तो इसकी जानकारी दें ।

अ. इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए: उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी'ओं) को ।

आ. भौतिक फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए: बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को निर्धारित प्रारूप आइएसआर-1 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआइआरएसडी/एमआइआरएसडी_आरटीए एमबी/पी/सीआइआर/2021/655, दिनांकित 3 नवंबर, 2021 के अनुसार दूसरे प्रारूप में जानकारी दें ।

इ. सेबी परिपत्र के नियमों के अनुसार, सदस्यों के पास उनके मौजूदा शेयरों के लिए नामांकन करने की सुविधा है । जिन सदस्यों ने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वे फॉर्म नंबर एसएच-13 जमा करके इसे पंजीकृत करें । अगर कोई सदस्य पहले के नामांकन को छोड़ना या रद्द करना चाहता है और नया नामांकन करना चाहता है, तो वह उस स्थिति में इसे फॉर्म आइएसआर-3 या एसएच-14 में जमा कर सकता है । सदस्यों से निवेदन है कि अगर शेयर उनके पास डीमैट फॉर्म में हैं, तो वे ये विवरण अपने डीपी को जमा करें और अगर शेयर भौतिक प्रारूप में हैं, तो बैंक के आरटीए को जमा करें ।

बैंक के आरटीए का पता:
मेसर्स कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड
(इकाई-इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)
सुब्रमण्यम बिल्डिंग, 5वॉ तल,
नं.1 क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002
टेलीफ़ोन: 044 - 4002 0700
ऑनलाइन निवेशक पोर्टल: https://wisdom.cameoindia.com
वेबसाइट: www.cameoindia.com

ई. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को पते में बदलाव के बारे में जानकारी सिर्फ़ अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को भेजनी चाहिए, बैंक या बैंक के आरटीए को नहीं ।

उ. शेयरधारकों से निवेदन है कि वे बैंक या बैंक के आरटीए के साथ किसी भी बातचीत के दौरान अपना फोलियो नंबर (भौतिक रूप में शेयर रखने वालों के लिए) और अपना डीपी आइडी/क्लाइंट आइडी नंबर (इलेक्ट्रॉनिक/डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वालों के लिए) ज़रूर बताएं ।

ट) भौतिक रूप से धारितों का अमूर्तिकरण:

सेबी ने 24 जनवरी, 2022 के अपनी अधिसूचना में यह आवश्यक कर दिया है कि प्रतिभूति के हस्तानांतरण के सभी निवेदन, जिसमें ट्रांसमिशन और ट्रांसपोज़िशन निवेदन शामिल हैं, सिर्फ़ अमूर्तिकृत रूप में ही प्रोसेस किए जाएँ गे । इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिम को खत्म करने और अमूर्तिकृत के अलग-अलग फ़ायदों का लाभ उठाने के लिए, सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे अपने पास मौजूद शेयरों को भौतिक प्रारूप से अमूर्तिकृत करें । इस संबंध में, सदस्य मदद के लिए बैंक या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं ।

ठ) रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के नतीजे:

वार्षिक सामान्य बैठक में ई-वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद, संवीक्षक सबसे पहले एजीएम के दौरान डाले गए वोटों की गिनती करेगा, उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और एजीएम खत्म होने के दो कार्य दिवस के भीतर, अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखकर प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को, अगर कोई हो, तो पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों की एक समेकित रिपोर्ट संवीक्षक देगा । रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम को एजीएम में ई-वोटिंग के परिणाम के साथ मिलाकर बैंक अपनी वेबसाइट, सीडीएसएल की वेबसाइट पर घोषित करेगा और स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित करेगा ।

निदेशक मण्डल की ओर से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

-ह/-
रघुराम मल्लेला
उप महा प्रबंधक व कंपनी सचिव

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 21-05-2026

व्याख्यात्मक कथन

कार्यसूची मद संख्या 2

शेयर जारी करने/म्यूचुअल फंड/क्यूआइबी या किसी और तरीके या इनके मिश्रण के ज़रिए, एक या ज़्यादा हिस्सों से ₹ 5,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम, अगर कोई हो, शामिल है) तक इक्विटी शेयर पूँजी जुटाना ।

ए) आरबीआई की बेसल III दिशानिर्देश का पालन करने और कारोबार ग्रोथ के लिए आवश्यक कैपिटल सहायता देने के लिए एक मज़बूत पूँजी बेस बनाने के लिए, बैंक को लगातार कैपिटल की ज़रूरत होती है ।

बी) भारत सरकार ने 30 जुलाई 2021 के राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 520 (ई) के माध्यम से प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम (एससीआरआर), 1957 के तहत प्रावधानों में और संशोधन किया है और एससीआरआर में हुए उक्त संशोधन के अनुसार, केंद्र सरकार जनहित में किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को एससीआरआर के किसी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकती है ।

सी) तत्पश्चात, केंद्र सरकार ने 19 जुलाई 2024 के अपने पत्र संदर्भ संख्या एफ. सं. 1/14/2018-पीएम (भाग) के माध्यम से सेबी को बताया कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक हित में निर्णय लिया है कि एससीआरआर, 1957 में परिभाषित प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, जिसकी सार्वजनिक शेयरधारिता पच्चीस प्रतिशत से कम है और जो एससीआरआर, 1957 के नियम 19 ए में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक नहीं बढ़ा सकी है, उसे अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 01.08.2026 तक छूट मिलेगी ।

डी) बैंक के निदेशक मंडल ने 21 मई 2026 को हुई अपनी मीटिंग में, शेयरधारकों की मंजूरी और दूसरी जरूरी सांविधिक/नियामक मंजूरियों के आधार पर, एक या अधिक हिस्सों में अलग-अलग उपलब्ध विकल्प के ज़रिए 5,000 करोड़ रुपये (प्रीमियम मिलाकर) की इक्विटी पूँजी जुटाने को मंज़ूरी दे दी है ।

इ) तदनुसार, बैंक का प्रस्ताव है कि वह फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर/राइट्स इश्यू/अहर्ताप्राप्त संस्थागत संस्थान/इएसपीएस/एलआइसी और दूसरी बीमा कंपनियों को प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर जारी करके/म्यूचुअल फंड/क्यूआइबी या किसी और तरीके या इनके मिश्रण से बैंक में पब्लिक शेयरधारिता बढ़ाए । बैंक इन ऑप्शन का इस्तेमाल मौजूदा बाज़ार की स्थिति के आधार पर करेगा ।

एफ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इक्विटी पूँजी भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेबी आइसीडीआर विनियम में उद्दत दूसरे प्राधिकरण से ज़रूरी मंज़ूरी लेकर जुटाई जाएगी और यह सेबी की दूसरी ज़रूरी दिशानिर्देश/विनियम और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध समझौता के अनुसार होगी ।

जी) बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 3(2बी)(सी) के अनुसार, बैंक अदाता पूँजी बढ़ाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से ज़रूरी मंज़ूरी लेगा । अत: केंद्र सरकार हर समय बैंक के अदाता इक्विटी पूँजी का कम से कम बावन परसेंट हिस्सा रखेगी ।

एच) एलओडीआर विनियम, 2015 के नियम 41 में यह उल्लेख किया गया है कि जब भी बैंक कोई और इश्यू या ऑफर करता है, तो मौजूदा शेयरधारकों को वह आनुपातिक आधार पर ऑफर किया जाना चाहिए, जब तक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक कुछ और तय न करें । अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इसका असर यह होगा कि बैंक की ओर से बोर्ड मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक आधार के अलावा किसी और आधार पर प्रतिभूति जारी और आवंटन कर सकेगा ।

आइ) इस प्रस्ताव का उद्देश्य बैंक को फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू के ज़रिए, और/या प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार/आरबीआई द्वारा मंज़ूर किसी दूसरे तरीके से इक्विटी शेयर/प्रेफरेंस शेयर/सिक्योरिटीज़ बनाने, ऑफ़र करने, जारी करने और अलॉट करने में मदद करना है। इश्यू से होने वाली कमाई से बैंक को आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्देशित अपनी पूँजी पर्याप्तता ज़रूरतों को मज़बूत करने में मदद मिलेगी ।

जे) प्रस्ताव में आगे निदेशक मंडल को आइसीडीआर विनियम के तहत निर्देशित अहर्ताप्राप्त संस्थागत खरीदार के साथ अहर्ताप्राप्त संस्थागत संस्थान करने का अधिकार देने की बात कही गई है। निदेशक मंडल अपनी इच्छा से बैंक के लिए फंड जुटाने के लिए आइसीडीआर विनियम के भाग VIII के तहत बताए गए इस तरीके को बिना शेयरधारकों से नई मंज़ूरी लिए अपना सकता है ।

के) सेबी आइसीडीआर विनियम के भाग VI के अनुसार क्यूआइपी इश्यू के मामले में, क्यूआइपी बेसिस पर सिक्योरिटीज़ का इश्यू, «निर्धारित तिथि" से पहले के दो हफ़्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज

पर कोट किए गए शेयरों के साप्ताहिक उच्च और निम्न बंद मूल्य के अनुपात से कम कीमत पर नहीं किया जा सकता है। «निर्धारित तिथि" का मतलब उस मीटिंग की तारीख होगी जिसमें बैंक का बोर्ड या कमेटी क्यूआइपी इश्यू खोलने का फैसला लेती है ।

एल) ऑफर के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तें सलाहकार, लीड प्रबंधक और अंडरराइटर्स और ऐसी दूसरी प्राधिकरण या प्राधिकारी से सलाह करके तय की जाएंगी, जिनकी ज़रूरत हो सकती है, और यह मौजूदा बाजार के हालात और दूसरी नियामक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

एम) चूँ कि ऑफरिंग की प्राइसिंग बाद में ही तय की जा सकती है, इसलिए जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत बताना मुमकिन नहीं है । अत: यह सेबी आइसीडीआर विनियम, बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर्स एंड बैठक) विनियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार होगा, जैसा कि समय-समय पर बदला गया है, अगर लागू हो, या कोई दूसरी दिशानिर्देश/विनियम/सहमति जो लागू हो या ज़रूरी हों ।

एन) उपरोक्त उद्धृत कारणों से, अत: एक ज़रूरी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है ताकि बोर्ड को इस मामले की शर्तों को अनंतिम करने के लिए पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार दी जा सके ।

ओ) आवंटित किए गए इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ हर तरह से बराबर स्थान के होंगे ।

पी) इस उद्देश्य के लिए, बैंक को एक विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों की मंज़ूरी लेनी होगी । अत: ऊपर दिए गए प्रस्ताव के लिए आपकी मंज़ूरी की निवेदन है ।

क्यू) बैंक या उसका कोई भी निदेशक या प्रमोटर इरादतन चूककर्ता या भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है ।

आर) यह प्रस्ताव बैंक के निदेशक मंडल को सही समय, तरीके और दूसरी शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने में मदद करने के लिए है । यह प्रस्तावित प्रस्ताव पारित होने के बाद, बैंक के शेयरधारकों द्वारा 02 जुलाई, 2025 को हुई अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में इसी तरह पहले ही पास किए गए प्रस्ताव की जगह ले लेगा ।

बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधन कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को, साथ में दिए गए नोटिस के कार्यसूची मद संख्या 2 में उल्लिखित विशेष संकल्प से जुड़ा या उसमें रूचि रखने वाला नहीं माना जाएगा, सिवाय बैंक में उनकी शेयरधारिता के, अगर कोई हो तो ।

आइओबी-ईएसपीएस 2026-27:

बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर स्थान रखने वाले, ₹10/- (केवल दस रुपये) अंकित मूल्य के 10,00,00,000 (दस करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर, ₹5,000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की कुल सीमा के भीतर, ऐसे स्थायी कर्मचारियों को—चाहे वे भारत में कार्यरत हों या भारत के बाहर—बनाने, पेश करने, जारी करने और आवंटित करने के लिए; यह सब 'कर्मचारी शेयर खरीद योजना' के तहत किया जाएगा, जिसे इसके बाद 'आइओबी-ईएसपीएस 2026-27' के नाम से जाना जाएगा ।

बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंक के कार्यपालक निदेशकों ("पात्र कर्मचारी") सहित बैंक के सभी स्थायी कर्मचारियों को "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत बताए गए नियमों और शर्तों पर या इक्विटी शेयर जारी करने के लिए बोर्ड या निदेशक समिति (समिति)/उपयुक्त समिति द्वारा लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ इक्विटी शेयर देने का प्रस्ताव है:

(i) पात्र कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना, ताकि वे बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए अपनी प्रयासों को बढ़ावा दे सकें और बैंक की ग्रोथ और लाभ में योगदान दे सकें ।

(ii) बैंक की ग्रोथ में लगातार सहयोग और योगदान के लिए योग्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना ।

(iii) पात्र कर्मचारियों को बैंक में मालिकाना हक पाने के तरीके देकर इक्विटी ओनरशिप को बढ़ावा देना ।

उक्त प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो, तो भारत सरकार/आरबीआई/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य नियामक निकायों से अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन है।

ऊपर जारी किए गए इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी मामलों में समान दर्ज़ा रखेंगे।

एलओडीआर विनियम के नियम 41 में यह उल्लेख किया गया है कि जब भी बैंक कोई और इश्यू या ऑफर दे रहा हो, तो मौजूदा शेयरधारकों को वह आनुपातिक आधार पर ऑफर किया जाना चाहिए, जब तक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक कुछ और तय न करें । अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इसका असर यह होगा कि बैंक की ओर से बोर्ड मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक आधार के अलावा किसी और आधार पर प्रतिभूति जारी और आवंटन कर सकेगा ।

बैंक की प्रतिभूति से जुड़ी सभी कर्मचारी लाभ योजना सेबी विनियम और इस बारे में सेबी द्वारा बनाए गए किसी भी दूसरे दिशानिर्देश, विनियम आदि के अनुसार होंगी।

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रमजन्य इक्विटी) विनियम, 2021 की अनुसूची। के भाग ग में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के व्यापक नियम और शर्तें निम्नलिखित होंगी ।

ए) योजना का संक्षिप्त विवरण:

बैंक, अपने सभी स्थायी कर्मचारियों को—जिनमें प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तथा बैंक के कार्यपालक निदेशक भी शामिल हैं ("पात्र कर्मचारी")—इक्विटी शेयर देना चाहता है । ये शेयर "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत बताई गई शर्तों पर, या इक्विटी शेयर जारी करने के लिए बने बोर्ड या निदेशकों की समिति (समिति) द्वारा तय की गई शर्तों पर दिए जाएँ गे । यह सब लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होगा; और इसमें, अन्य बातों के अलावा, यह शर्त भी शामिल है कि ऑफ़र के समय जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या 10,00,00,000 से ज़्यादा नहीं होगी, और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य (face value) 10 रुपये होगा, जिस पर उचित प्रीमियम भी लागू होगा ।

बी) दिए जाने वाले शेयरों की कुल संख्या

"आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत पात्र कर्मचारियों को 10,00,00,000 तक इक्विटी शेयर ऑफर करने का प्रस्ताव है । हालांकि, "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत, किसी भी पात्र कर्मचारी को ऑफर किए गए शेयरों का हिस्सा, अगर अनसब्सक्राइब रहता है, तो उसे बोर्ड या समिति द्वारा तय की गई कीमत पर इच्छुक पात्र कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

सी) "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" में भाग लेने और लाभार्थी बनने के पात्र कर्मचारियों के वर्गों को चिन्हित करना

बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी, चाहे वे भारत में कार्यरत हों या बाहर, जिसमें बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तथा बैंक के कार्यपालक निदेशक भी शामिल हैं ।

डी) निहितीकरण की आवश्यकताएं और निहितीकरण की अवधि

इक्विटी शेयर सीधे ऑफर और आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है और इसलिए वेस्टिंग का कोई समय नहीं होगा ।

ई) अधिकतम अवधि (सेबी विनियमनों के विनियमन 18(1) और 24(1) के अधीन, जैसा भी मामला हो) जिसके भीतर ऑप्शन/एसएआर/बेनिफिट निहित होंगे

लागू नहीं

एफ) एक्सरसाइज प्राइस, एसएआर कीमत, खरीद कीमत या प्राइसिंग फ़ॉर्मूला

खरीद कीमत या प्राइसिंग फ़ॉर्मूला, ऑफ़र के समय सेबी विनियम के अनुसार, बोर्ड या इक्विटी शेयर जारी करने वाले निदेशकों की समिति/सही समिति तय करेगी ।

जी) अभ्यास की अवधि और अभ्यास की प्रक्रिया

बोर्ड/समिति के फैसले के मुताबिक, जिस समय के दौरान इश्यू खुला रहेगा, वह एक्सरसाइज अवधि होगा । एक्सरसाइज की प्रक्रिया में, दूसरी बातों के साथ, पात्र कर्मचारियों को दिया गया ऑफर, एप्लीकेशन और सब्सक्रिप्शन राशि की रसीद और योजना के हिसाब से शेयर्स का आवंटन शामिल होगा ।

एच) "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के लिए कर्मचारियों की पात्रता तय करने की मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी, चाहे वे भारत में कार्यरत हों या बाहर, जिसमें शेयर ऑफर/इश्यू करने की तारीख को बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक शामिल हैं, लागू नियामक ज़रूरतों और दिशानिर्देश के तहत हिस्सा लेने के हकदार होंगे ।

आई) प्रति कर्मचारी और कुल मिलाकर जारी किए जाने वाले विकल्पों, एसएआर'ओं, शेयरों (जैसा भी मामला हो) की अधिकतम संख्या

इस योजना के तहत हर कर्मचारी को जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयरों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या, इस मकसद के लिए बने बोर्ड/निदेशकों की कमेटी तय करेगी और हर कर्मचारी को जारी किए जाने वाले शेयर, बैंक के पोस्ट इश्यू अदाता पूँजी के 1% से ज़्यादा नहीं होंगे ।

जे) योजना के तहत प्रति कर्मचारी दिए जाने वाले लाभों की अधिकतम मात्रा

चूंकि नए शेयर "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत जारी किए जाने का प्रस्ताव है, इसलिए पात्र कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ नहीं दिया जाएगा ।

के) क्या योजना को सीधे कंपनी द्वारा लागू और प्रबंधित किया जाएगा या किसी ट्रस्ट के ज़रिए

"आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" को बैंक द्वारा सीधे लागू और प्रशासित किया जाएगा ।

एल) क्या योजना (ओं) में कंपनी द्वारा शेयरों का नया इश्यू शामिल है या ट्रस्ट द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों शामिल हैं

"आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत, बैंक पात्र कर्मचारियों को सीधे नए इक्विटी शेयर जारी करेगा ।

एम) कंपनी द्वारा ट्रस्ट को योजना(ओं) के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण की राशि, इसकी अवधि, उपयोग, पुनर्भुगतान की शर्तें आदि

चूंकि बैंक द्वारा "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत पात्र कर्मचारियों को शेयर सीधे जारी किए जाते हैं, इसलिए ट्रस्ट बनाने या ट्रस्ट को लोन देने का सवाल ही नहीं उठता ।

एन) द्वितीयम अधिग्रहण का अधिकतम प्रतिशत (सेबी विनियम के तहत तय सीमाओं के अधीन) जो योजना (ओं) के उद्देश्य के लिए ट्रस्ट द्वारा किया जा सकता है

लागू नहीं

ओ) एक ऐसा विवरण कि कंपनी विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों का पालन करेगी

बैंक, समय-समय पर लागू, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों का पालन करेगा ।

पी) कंपनी अपने ऑप्शंस या एसएआर'ओं का मूल्यांकन करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करेगी

प्रस्तावित योजना के तहत, बैंक नए इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव करता है और इसलिए, ऑप्शंस या एसएआर'ओं का वैल्यूएशन लागू नहीं होगा ।

क्यू) यदि लागू हो, निम्नवत विवरण:

'अगर बैंक इंट्रिंसिक वैल्यू का इस्तेमाल करके शेयर-आधारित कर्मचारी लाभ का खर्च निकालने का ऑप्शन चुनता है, तो इस तरह कैलकुलेट की गई कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत और फेयर वैल्यू का इस्तेमाल करने पर चिन्हित की गई कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत के बीच का अंतर निदेशक रिपोर्ट में बताया जाएगा और इस अंतर का बैंक के लाभ और अर्जन प्रति शेयर ("ईपीएस") पर क्या असर पड़ेगा, यह भी निदेशक रिपोर्ट में बताया जाएगा । बैंक उपरोक्त उल्लिखित ज़रूरतों को लागू होने पर पूरा करेगा ।

आर) लॉक-इन-अवधि:

सेबी विनियम के अनुसार, "आइओबी-ईएसपीएस 2026-27" के तहत जारी किए गए इक्विटी शेयर आवंटन की तारीख से कम से कम एक साल के लिए लॉक-इन रहेंगे । इसके लिए, बैंक को एक विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों की मंज़ूरी लेनी होगी । अत: ऊपर लिखित प्रस्ताव के लिए आपकी मंज़ूरी के लिए निवेदन करनी होगी ।

एस) योजना के तहत दी गई विशेष प्रतिभूति/ऑप्शन्स के बायबैक के लिए नियम और शर्तें, यदि कोई हो:

कोई अलग से मूल्यांकन प्रक्रिया लागू नहीं होगा। योजना के तहत पात्र कर्मचारी होने के नाते, बैंक के प्रबंध निदेशक व कार्यपालक निदेशकों को योजना के तहत उन्हें दिए जाने वाले शेयरों की सीमा तक प्रस्ताव में हितधारक माना जा सकता है । उपरोक्त के अलावा, बैंक के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों का प्रस्तावित प्रस्ताव से सिवाय बैंक में उनकी हिस्सेदारी (यदि कोई हो) की सीमा तक वित्तीय या अन्य किसी भी रूप में कोई संबंध या हित नहीं है | बोर्ड योजना के तहत जारी किए गए शेयरों को वापस खरीदने का प्रोसेस तय करेगा, अगर बैंक कभी भी ऐसा करता है, और उसके लिए लागू नियम और शर्तें तय करेगा ।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्प को पास करने की सिफारिश करता है ।

कार्यसूची मद संख्या 3:

शेयर प्रीमियम खाते से 31.03.2026 तक संचित घाटे का विनियोजन

31.03.2026 तक, शेयर प्रीमियम खाते में रु.9636,50,05,532.04 जमा हैं, जो पहले प्रीमियम पर जारी किए गए शेयर की वजह से हैं । इसके अलावा, 31 मार्च, 2026 तक, बैंक के जमा हुए नुकसान के तौर पर रु. 8733,34,22,563.02 का बकाया है ।

बैंक का प्रस्ताव है कि वह शेयर प्रीमियम खाते में जमा रकम का इस्तेमाल जमा हुए नुकसान को प्रतितुलन करने के लिए करे ।

तदनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान, बैंक का प्रस्ताव है कि 31 मार्च 2026 तक 'शेयर प्रीमियम खाते' में जमा 9,636.50 करोड़ रुपये में से 8,733.34 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया जाएगा । इसके लिए शेयर प्रीमियम खाते में जमा राशि को लाभ एवं हानि खाते में मौजूद 8,733.34 करोड़ रुपये के डेबिट राशि (जमा हुआ नुकसान) में अंतरित किया जाएगा और शेयर प्रीमियम खाते उसी हिसाब से कम हो जाएगा ।

ऊपर बताए गए शेयर प्रीमियम में कमी के प्रस्ताव को अगर मंज़ूरी मिल जाती है और यह फाइनल हो जाता है, तो इसका असर यह होगा कि जमा हुआ नुकसान, जो 31 मार्च 2026 तक 8,733.34 करोड़ रुपये था, उसे प्रतितुलन कर दिया जाएगा ।

बैंक का मानना है कि अभी के समय में यह बैंक के लिए सबसे व्यवहारिक और किफायती विकल्प है, ताकि बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और स्पष्ट नज़रिया सामने आ सके ।

प्रस्तावित प्रतितुलन बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और सही नज़रिया दिखाएगा और यह बही मूल्य पर शेयर, इक्विटी से अर्जन (आरओई), शेयर से अर्जन (ईपीएस) जैसे किसी भी अनुपात पर असर नहीं डालेगा । इस विनियोजन से बैंक की कुल मालियत में कोई बदलाव नहीं होगा ।

बैंक अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति स्पष्ट कर पाएगा, जिससे शेयरधारकों को फायदा होगा क्योंकि उनकी होल्डिंग से बेहतर वैल्यू मिलेगी और बैंक को शेयरधारकों के फायदे के लिए मौके तलाशने में भी मदद मिलेगी, जिसमें लागू नियमों के मुताबिक सही समय में लाभांश का भुगतान भी शामिल है । यह प्रस्ताव बैंक को समय पर अपने कायापलट योजना को पूरा करने के लिए भी बेहतर स्थिति में रखेगा ।

बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 में किसी भी अदाता पूँजी को निरस्त करके अपनी अदाता पूँजी को कम करने का प्रावधान है, जो खो गया है, या उपलब्ध आस्ति में शामिल नहीं है । इसके अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 एक राष्ट्रीयकृत बैंक को बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 में उल्लिखित अदाता पूँजी को कम करने के उसी प्रक्रिया को अनुसरण करके अपने शेयर प्रीमियम खाते से कोई भी रकम निकालने की अनुमति देता है ।

चूँ कि जमा हुए नुकसान को प्रतितुलन करने के लिए बैंक के शेयर प्रीमियम खाते का प्रस्तावित इस्तेमाल पूँजी में कमी माना जाएगा, अत: बैंकिंग कंपनीज़ (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुच्छेद 3(2बीबीए) के प्रावधानों के अनुसार एक विशेष संकल्प के ज़रिए बैंक के शेयरधारकों की मंज़ूरी मांगी जा रही है ।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुच्छेद 17(2) में यह नियम है कि अगर बैंक शेयर प्रीमियम खाते से कोई रकम या रकम लेता है, तो उसे ऐसे इस्तेमाल की तारीख से इक्कीस दिनों के अंदर, भारतीय रिज़र्व बैंक को इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी, और इसके इस्तेमाल से जुड़े स्थिति बताने होंगे । बैंक निर्धारित समय में इस ज़रूरत को पूरा करेगा ।

शेयर प्रीमियम खाते में कमी, जिसमें शेयर प्रीमियम खाते के क्रेडिट में जमा रकम को कम करके लाभ व हानि खाते में डेबिट राशि को प्रतितुलन करना शामिल है, इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक अपने शेयरधारकों को कोई भी कंसीडरेशन देगा । अत: शेयर प्रीमियम खाते में कमी के बाद बैंक की इक्विटी पूँजी स्ट्रक्चर और शेयरहोल्डिंग पैटर्न वैसा ही रहेगा । शेयरों की बही मूल्य भी वैसी ही रहेगी।

शेयरधारिता पैटर्न:

क्रम सं	वर्ग	शेयर प्रीमियम खाते में कमी से पहले		शेयर प्रीमियम खाते में कमी के बाद	
		धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	प्रमोटर की होल्डिंग- भारत सरकार	17,80,04,88,299	92.44%	17,80,04,88,299	92.44%
2	गैर-प्रमोटर होल्डिंग: पब्लिक	1,45,61,01,496	7.56%	1,45,61,01,496	7.56%
कुल		**19,25,65,89,795**	**100%**	**19,25,65,89,795**	**100%**

शेयरधारकों और क्रेडिटर्स के अधिकारों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है।

निदेशक मंडल ने 21 मई, 2026 को हुई अपनी बैठक में बैंक और उसके शेयरधारकों के सबसे अच्छे हित में शेयर प्रीमियम खाते के इस्तेमाल के ऊपर दिए गए प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है और इसलिए शेयरधारकों से मंज़ूरी के लिए इसकी सिफारिश की है ।

बैंक के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में से कोई भी, उनके रिश्तेदारों सहित, उपर्युक्त प्रस्ताव में तब तक कोई रुचि या सरोकार नहीं रखता है, जब तक कि बैंक में उनकी कोई शेयरधारिता न हो ।

कार्यसूची मद संख्या 4:

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, का बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्यकाल, उनके वर्तमान में अधिसूचित कार्यकाल (जो 31.12.2025 को समाप्त हो गया था) के बाद, 01.01.2026 से 08.10.2027 तक बढ़ाया गया है ।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 (दिनांक 17.11.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित) के पैराग्राफ 8(1) के साथ पठित, केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना ईएफ. संख्या 4/3/2024 बीओ.आई, दिनांकित 8 सितंबर 2025 ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल से आगे बढ़ा दिया है, जो 31.12.2025 को समाप्त हो गया था, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में उनके 10 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने की तिथि तक, यानी 01.01.2026 से 08.10.2027 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो ।

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है ।

अत: भारत सरकार द्वारा तय की गई शर्तों और नियमों पर, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर नियुक्त करने के लिए शेयरधारकों की मंज़ूरी मांगी गई है ।

संक्षिप्त प्रोफ़ाइल:

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव दिनांक 01.01.2023 से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ का कार्यभार संभाले हुए हैं; इससे पूर्व वे दिनांक 09.10.2017 से बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

उन्होंने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत 1991 में इलाहाबाद बैंक में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के तौर पर की थी, जहाँ उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग पदों पर काम किया । वे एक कुशाग्र और अनुभवी बैंकर हैं, जिन्हें ज़मीनी स्तर का व्यापक अनुभव प्राप्त है; साथ ही, इलाहाबाद बैंक में वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत रहते हुए, उन्होंने उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली जैसे सबसे बड़े और अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने का गौरव भी हासिल है ।

इलाहाबाद बैंक में लगभग 27 वर्षों की सफल सेवा पूरी करने के बाद, भारत सरकार द्वारा उन्हें कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया, और उन्होंने 09.10.2017 को इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यभार ग्रहण किया ।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कार्यपालक निदेशक के तौर पर उनका सफर बहुत मुश्किल भरा रहा । बैंक 2014 से घाटे में था, 2015 से पीसीए में था और कई दूसरी चुनौतियों के अलावा वित्तीय पैरामीटर भी खराब हालत में थे । उन्होंने सभी विशेष क्षेत्र के लिए रणनीति बनाई और बोर्ड के सहयोग से उन्हें जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया । उन्होंने पांच साल से ज़्यादा समय तक कार्यपालक निदेशक के तौर पर बैंक में काम किया और इस दौरान सभी विभाग और पोर्टफोलियो संभाले । कार्यपालक निदेशक के तौर पर उनके समय की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने मार्च 2020 में बैंक को घाटे से और सितंबर 2021 में पीसीए से बाहर निकालने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी । इसके अलावा, वह 2020-2021 के दौरान लगभग 14 महीनों तक बैंक में अकेले कार्यपालक निदेशक थे ।

वह दो साल के लिए भारत सरकार द्वारा नामित इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) के बोर्ड में निदेशक भी थे । उन्होंने अपने पिछले बैंक में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के तौर पर भी काम किया है । वह यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं ।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- निदेशकों के बीच आपसी संबंध: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद: शून्य
- दूसरी सूचीबद्ध इकाईयों में सदस्यता/अध्यक्षता: शून्य
- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में शेयरधारिता: 8182 इक्विटी शेयर

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव या बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक उनके रिश्तेदारों के अलावा बैंक के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों, यदि कोई हो, एजीएम की संलग्न सूचना के मद संख्या 4 में दिए गए प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं ।

निदेशक मण्डल की ओर से
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

-ह/-
रघुराम मल्लेला
उप महा प्रबंधक व कंपनी सचिव

स्थान: चेन्नै
दिनांक: 21-05-2026

Notice to Shareholders

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56(i) of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (amended up to 2008) that the Twenty Sixth Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Indian Overseas Bank will be held on **Tuesday, July 07, 2026, at 11:00 a.m. (IST)** through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

AGENDA ITEM NO 1:

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and Consolidated Balance Sheet of the Bank as of March 31, 2026, Standalone and Consolidated Profit and Loss account and Cash Flow Statement for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS

AGENDA ITEM NO 2:

To raise equity share capital up to ₹5,000 crores (including share premium, if any), in one or more tranches, by way of Follow-on Public Offer/Rights Issue/Qualified Institutional Placements/ESPS/Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies/Mutual Funds/QIBs or any other mode or combination thereof during the Financial Year 2026-27.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution(s) as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 ("The Regulations") and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date/guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949 (B R Act), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR) , Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act) and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative/non-cumulative)/securities (in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares , the extent of issue of each class of such redeemable preference shares and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of Rs.10 each and in any case not exceeding aggregate issue size of ₹ 5,000 crores (including share premium) as on date which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of the Bank, being the ceiling in the Authorized Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or

any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR") the provisions of the Act, the provisions of Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 , the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Non Debt instruments) Rules 2019, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Department for promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board may, at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the paid up Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Regulation 2 (ss) of the ICDR Regulations) such as Public financial Institution, foreign portfolio investor, mutual fund, venture capital fund etc. pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP) as provided for under Chapter VI of the ICDR Regulations, and through a placement document and/or such other documents/writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED THAT subject to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 (Regulations) and the provisions of the Uniform Listing Agreements entered into with the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited (Stock Exchanges) as per LODR (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and in accordance with the provisions of Regulation 4A of the Regulations and the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment from time to time) ("SEBI Regulations"), and subject to the approval, consent and sanction of RBI, GOI, SEBI, Stock Exchange(s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable, and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board, consent be and is hereby accorded to the Board to create, grant, offer, issue and allot up to the extent of 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank, within the overall limit of ₹5,000 crores (including share premium), under Employees Share Purchase Scheme hereinafter referred to as IOB-ESPS 2026-27 in one or more tranches, to such permanent employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, ranking pari-passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, as may be decided by the Board under an Employee Stock Purchase Scheme), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that the Central Government of India shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be in one or more tranches either by way of Follow-on Public Offer/Rights Issue/Qualified Institutional Placements/ Issue of Shares to Employees under SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021/ Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies/Mutual Funds/QIBs or any other mode or combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("ICDR Regulations") and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time

or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations.

RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up, and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.

b) pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations the Bank is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "IOB-ESPS 2026-27" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "IOB-ESPS 2026-27", from time to time, including but not limited to, amendment(s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "IOB-ESPS 2026-27" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "IOB-ESPS 2026-27" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "IOB-ESPS 2026-27" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board and no further approvals in this regard would be required from the shareholders of the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities, shall be subject to the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable,

and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the Board or any person duly authorized by the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid shares/ securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorization to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with applicable laws and regulations."

AGENDA ITEM NO 3:

Appropriation of accumulated losses as on 31.03.2026 from Share Premium account.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution(s) as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), Section 17(2) of The Banking Regulation Act, 1949 (BR Act), Para 21 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, including any statutory amendments or reenactments thereof and subject to the approvals of Reserve Bank of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the Bank's accumulated losses of ₹8733,34,22,563.02 (Eight Thousand Seven Hundred Thirty Three Crore Thirty Four Lakh Twenty Two Thousand Five Hundred Sixty Three and Paise Two only) as at 31.03.2026 by utilizing an equivalent amount standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on 31st March 2026 and take the same into account during current Financial Year 2026-27.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution related to set off, the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or

doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit."

AGENDA ITEM NO 4:

Extension of tenure of Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director & Chief Executive Officer, as Whole-time Director of the Bank beyond his currently notified term which expired on 31.12.2025, from 01.01.2026 till 08.10.2027.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the extension of tenure of Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director and Chief Executive Director of the Bank under Clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970(5 of 1970) read with paragraph 8(1) of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (amended vide notification dated 17.11.2022), the Central Government vide the Govt. of India Gazette Notification eF. No. 4/3/2024 BO.I dated 8th September 2025, beyond his currently notified term which ended on 31.12.2025, till the date of completion of his 10 years' tenure as Whole Time Director in Indian Overseas Bank, i.e. w.e.f 01.01.2026 upto 08.10.2027 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

By order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-
Raghuram Mallela
Deputy General Manager & Company Secretary

Place: Chennai
Date: 21.05.2026

Notes

a) EXPLANATORY STATEMENT(S):

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

b) Pursuant to General Circular No. 03/2025 dated 22nd September 2025 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Master Circular No. HO/49/14/14(7)2025-CFD-POD2/I/3762/2026 dated 30th January 2026 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the AGM shall be the Central Office of the Bank situated at Chennai. The Special business mentioned in notice being unavoidable, be transacted at the 26th AGM of the Bank through VC/OAVM.

The Bank is adhering to and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank has ensured sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.

The Bank has appointed Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) to provide facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM facility, e-voting during the AGM and as the attendant enablers for conducting of the AGM.

In line with the aforesaid SEBI and MCA Circulars, the Notice of AGM along with Annual Report 2025-26 is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depositories. Shareholders of the bank may please note that the Notice and Annual Report 2025-26 will be made available on the website of the Bank at www.iob.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e., National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com.

c) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail Ids by clicking on the link https://wisdom.cameoindia.com to get the soft copy of the Notice of AGM and Annual Report.

d) VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertaking) Act 1970, No shareholder of the bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **Tuesday, June 30, 2026**, being the Cut-off Date will be eligible to participate in AGM for the said purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

As per Regulation 10 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to participate in the meeting and is eligible to cast vote on the agenda either through remote e-voting or e-voting at the AGM.

e) REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, (as amended, MCA (Ministry of Corporate Affairs) General Circular No. 03/2025 dated 22nd September 2025 and Master Circular No. HO/49/14/14(7)2025-CFD-POD2/I/3762/2026 dated 30th January 2026 issued by the Securities and Exchange Board of India and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. Remote E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Tuesday, June 30, 2026**, being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The Bank has appointed Mr. R. Sridharan of R Sridharan & Associates, Company Secretaries (FCS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the AGM in a fair and transparent manner.

1. THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING AND JOINING VIRTUAL AGM ARE AS UNDER:

Step 1: Access through Depositories CDSL/ NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2: Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

(i) The remote e-voting period begins on **Friday, July 03, 2026, at 9:00 a.m. (IST)** and ends on **Monday, July 06, 2026, at 5:00 p.m. (IST)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date on **June 30, 2026**, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting.

(iii) Pursuant to Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/websites of Depositories/ Depository Participants. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

(iv) In terms of Section VI-C of SEBI Master Circular No. HO/49/14/14(7)2025-CFD-POD2/I/3762/2026 dated 30th January 2026 on compliance with the provisions of SEBI LODR Regulations, 2015, as amended, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode CDSL/NSDL is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL Depository**	1) Users who have opted for CDSL Easi/Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi/Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & My Easi New (Token) Tab. 2) After successful login, the Easi/Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & My Easi New (Token) Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL Depository**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will be opened. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e., your sixteen-digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4) For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID,8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants (DP)**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important Note:

Members who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., CDSL and NSDL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at Toll free no. 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.022 4886 7000 and 022 2499 7000

(v) Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.

1) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

2) Click on "Shareholders" module.

3) Now enter your User ID

   a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

   b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

   c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

5) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

6) If you are a first-time user, follow the steps given below:

For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.	
PAN	Enter your 10-digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) · Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. · If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id/folio number in the Dividend Bank details field.

(vi) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(vii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(viii) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(ix) Click on **EVSN 260606001** for exercising the e-voting of agenda of AGM 2026.

(x) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xi) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xiii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xiv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xv) If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xvi) There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES/MOBILE NUMBERS ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. For Physical shareholders - Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by login in the online Investor Portal https://wisdom.cameoindia.com/

2. For Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)

3. For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/ OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meetings & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.

2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.

3. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops/iPad for better experience.

4. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

5. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

6. The Shareholders can join the AGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restrictions on account of first come first served basis.

7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request by mentioning their name, Demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iob.bank.in. The window for registration of speaker shareholders will be kept open from **June 26, 2026 to July 02, 2026**. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance not later than **July 02, 2026** mentioning their name, Demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iob.bank.in These queries will be replied by the Bank suitably by email.

8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

9. The shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 .

10. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

11. Once the vote on the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

12. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/ OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

13. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

Note for Non – Individual Shareholders and Custodians- For Remote Voting Only

- Non-Individual shareholders (i.e., other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.

- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

  The list of accounts linked in the login will be mapped automatically and can be delinked in case of wrong mapping.

- It is mandatory that a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

- Alternatively, Non-Individual shareholders are mandatorily required to send the relevant Board Resolution/Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer at rsaevoting@gmail.com and to the Bank at the email address viz; at investor@iob.bank.in if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no 1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Assistant Vice President, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

f) APPOINTMENT OF PROXY:

In terms of the MCA Circulars and Proviso to Regulation 44(4) of SEBI LODR Regulations, 2015, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 will not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith. However, representatives of the Members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.

g) APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to the Scrutinizer by email at rsaevoting@gmail.com through their registered email address with copy to investor@iob.bank.in not less than FOUR DAYS before the date of Annual General Meeting i.e., **on or before 4:00 p.m. (IST) on Thursday, July 02, 2026**.

h) CHANGE OF ADDRESS/BANK PARTICULARS/ BANK ACCOUNT MANDATE/NOMINATION:

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc.,

a. For shares held in electronic form: to their Depository Participants (DPs).

b. For shares held in physical form: to the Bank/Bank's Registrar and Transfer Agent (RTA) in prescribed Form ISR-1 and other forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021.

c. As per the provisions of the said SEBI Circular, the facility for making nominations is available for the Members in respect of the shares held by them. Members who have not yet registered their nomination are requested to register the same by submitting Form No. SH-13. If a Member desires to opt out or cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/she may submit the same in Form ISR-3 or SH-14 as the case may be. Members are requested to submit the said details to their DP in case the shares are held by them in dematerialized form and to Bank's RTA in case the shares are held in physical form.

   The address of Bank's RTA:
   M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
   (Unit-Indian Overseas Bank)
   Subramanian Building, V Floor,
   No.1 Club House Road, Chennai – 600 002
   Telephone: 044 - 4002 0700
   Online Investor Portal: https://wisdom.cameoindia.com
   Website: www.cameoindia.com

d. Shareholders holding shares in electronic form must send advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.

e. Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id/Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

i) DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS:

SEBI vide its notification dated January 24, 2022 has mandated that all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of Dematerialisation, Members are advised to dematerialize the shares held by them in physical form. Members can contact the Bank or Bank's RTA for assistance in this regard.

j) RESULTS OF REMOTE E-VOTING & E-VOTING DURING AGM:

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the AGM, thereafter, unblock the votes cast through remote e-voting and make within two working days of conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the AGM will be announced by the Bank in its website, website of CDSL and also informed to the Stock Exchanges.

By order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-
Raghuram Mallela
Deputy General Manager & Company Secretary

Place: Chennai
Date: 21.05.2026

Explanatory Statement

AGENDA ITEM NO. 2

To raise equity share capital up to ₹5,000 crores (including share premium, if any), in one or more tranches, by way of Follow-on Public Offer/Rights Issue/Qualified Institutional Placements/ESPS/Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies/Mutual Funds/QIBs or any other mode or combination thereof.

a) In order to comply with the Basel III guidelines of RBI and to have a strong Capital Base so as to provide necessary capital support to fund business growth, the Bank is in continuous need of capital.

b) The Govt. of India vide Gazette Notification No. G.S.R. 520(E) dated 30th July 2021 further amended provisions under Securities Contracts (Regulations) Rules (SCRR),1957 and in terms of the said amendment in SCRR, the Central Government may in public interest exempt any listed public sector company from any or all of the provisions of SCRR.

c) Subsequently, the Central Government vide its letter Ref. No. F. No. 1/14/2018-PM (part) dated 19th July 2024 conveyed SEBI that the Central Government has decided in the public interest that every listed public sector company, as defined in the SCRR, 1957, which has public shareholding below twenty five per cent and which could not increase its public shareholding to at least twenty five per cent within the timeline stipulated in Rule 19A of SCRR, 1957, shall get exemption up to 01.08.2026 to increase its public shareholding to at least twenty five per cent.

d) The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 21st May 2026 has approved for raising equity capital of Rs.5,000 crore (including premium) through the different available options in one or more tranches subject to approval of shareholders and other requisite Statutory/Regulatory approvals.

e) Accordingly, the Bank proposes to raise equity capital by way of Follow-on Public Offer/Rights Issue/Qualified Institutional Placements/ESPS/Issue of shares on preferential basis to LIC and other insurance companies/ Mutual Funds/QIBs or any other mode or combination thereof to increase the public shareholding in the Bank. These options will be exercised by the Bank based on the prevailing market conditions.

f) The equity capital as aforesaid will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI ICDR Regulations and shall be in compliance with the other relevant guidelines/regulations of SEBI and Listing Agreement with Stock Exchanges.

g) The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid-up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-two per cent of the paid-up equity capital of the Bank.

h) Regulation 41 of the LODR Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

i) The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares/preference shares/ securities by way of Follow-on Public Issue, and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI/RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

j) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

k) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of SEBI ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

l) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

m) As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time, if applicable, or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

n) For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

o) The equity shares allotted shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

p) For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

q) The Bank or any of its directors or promoter is not a wilful defaulter or fugitive economic offender.

r) The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode and other terms. This proposed resolution once passed will supersede the resolution already passed in similar line, by the shareholders of the Bank in its Annual General Meeting held on July 02, 2025.

None of the Directors or the Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives may be deemed to be concerned with or interested in the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 2 of the accompanying Notice, expect to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

IOB-ESPS 2026-27:

To create, grant offer, issue and allot up to the extent of 10,00,00,000 (Ten crore) new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank, within the overall limit of ₹5,000 crores (including share premium, if any), to such permanent employees, whether working in India or outside India under Employees Share Purchase Scheme hereinafter referred to as IOB-ESPS 2026-27.

The Bank proposes to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "IOB-ESPS 2026-27" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee)/Appropriate Committee subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, with the following objectives:

(i) Providing incentive to eligible employees, to stimulate their efforts towards better performance to contributing to the growth and profitability of the Bank.

(ii) Rewarding eligible employees for their continued support and contribution towards the Bank's growth.

(iii) Encouraging equity ownership by eligible employees by providing them with the means to acquire a proprietary interest in the Bank.

The said proposal is subject to approvals from GOI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges and other regulatory bodies, if required.

The equity shares issued above shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

Regulation 41 of the LODR Regulations provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on a pro-rate basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

All employees' benefit schemes involving the securities of the Bank shall be in compliance with SEBI Regulations and any other guidelines, regulations etc., framed by SEBI in this regard.

As per the requirements enumerated in Part C of Schedule I of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 the following would inter-alia be the broad terms and conditions of the "IOB-ESPS 2026-27"

A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank desirous to grant equity shares to all permanent employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank ("Eligible Employees") on such terms and conditions as stated under "IOB-ESPS 2026-27" or as may be decided by the Board or Committee of Directors for Issue of Equity Shares (Committee) subject to the applicable Laws, Rules, Regulations and Guidelines, inter-alia, not exceeding 10,00,00,000 crore equity shares at a face value of Rs 10 each with appropriate premium, at the time of offer.

B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED

Up to 10,00,00,000 equity shares are proposed to be offered to the eligible employees under the "IOB-ESPS 2026-27". However, the portion of shares offered, pursuant to the "IOB-ESPS 2026-27", to any eligible employees, if remains unsubscribed, shall be made available to interested eligible employees at such price, as may be decided by the Board or Committee.

C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE "IOB-ESPS 2026-27"

All permanent employees of the Bank whether working in India or outside including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank.

D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING

Equity Shares are proposed to be offered directly and allotted and thus there will not be period of Vesting.

E. MAXIMUM PERIOD (SUBJECT TO REGULATION 18(1) AND 24(1) OF THE SEBI REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE) WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs/ BENEFIT SHALL BE VESTED

Not Applicable

F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA

Purchase price or pricing formula will be determined by the Board or the Committee of Directors for Issue of Equity Shares/Appropriate Committee as per SEBI Regulations at the time of offer.

G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE

The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. Eligible Employees may subscribe to the shares during such offer period in accordance with the terms of the Scheme

H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE "IOB-ESPS 2026-27"

All permanent employees of the Bank whether working in India or outside including Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors of the Bank as on the date of offering/issue of shares will be entitled to participate subject to the applicable regulatory

requirements and guidelines. No separate appraisal process shall apply.

I. MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE

The maximum number of new Equity Shares per employee proposed to be issued under the Scheme shall be decided by the Board/Committee of Directors constituted for the purpose and shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1% of the post issue paid up capital of the Bank.

J. MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME

As the new shares are proposed to be issued under "IOB-ESPS 2026-27", no other benefits will be provided to eligible employees.

K. WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE COMPANY OR THROUGH A TRUST

"IOB-ESPS 2026-27" will be implemented and administered directly by the Bank.

L. WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH

Under the "IOB-ESPS 2026-27", the Bank will issue new equity shares directly to the eligible employees.

M. THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS, ETC.

As the shares are directly issued to the eligible employees under the "IOB-ESPS 2026-27" by the Bank, formation of the trust or providing loan to the trust does not arise.

N. MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S)

Not Applicable.

O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15

Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021, if applicable for time to time.

P. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new Equity Shares and as such, the valuation of Options or SARs is not applicable.

Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

'In case the Bank opts for expensing of share-based employee benefits using the intrinsic value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on earnings per share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' Report. The Bank will comply with the above requirements as and when applicable.

R. LOCK IN PERIOD:

The equity shares issued under "IOB-ESPS 2026-27" shall be locked in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI Regulations. For

this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

S. TERMS & CONDITIONS FOR BUYBACK, IF ANY, OF SPECIFIED SECURITIES/OPTIONS COVERED GRANTED UNDER THE SCHEME:

Subject to applicable laws prevailing at the relevant time, the Board shall determine the procedure for buy-back of shares issued under the Scheme if to be undertaken at any time by the Bank, and the applicable terms and conditions thereof.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

The Managing Director and the Executive Directors of the Bank, being eligible employees under the Scheme, may be deemed to be interested in the resolution to the extent of the shares that may be offered to them under the Scheme. Save as aforesaid, none of the other Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives are concerned or interested, financially or otherwise, in the proposed resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

AGENDA ITEM NO 3:

Appropriation of accumulated losses as on 31.03.2026 from Share Premium account.

As on 31st March, 2026 an amount of Rs. 9636,50,05,532.04 is standing to the credit of Share Premium Account, as a result of earlier share issues made at premium. Further, as on 31st March, 2026, an amount of Rs 8733,34,22,563.02 is outstanding as accumulated losses of the Bank.

The Bank proposes to utilize the amount standing in the Share Premium Account for the purpose of setting off the accumulated losses.

Accordingly, during the current Financial Year 2026-27, the Bank proposes to utilize an amount of Rs 8,733.34 crore out of an amount of Rs. 9,636.50 crore only being the balance standing to the credit of 'Share Premium Account' as on 31st March 2026, by transfer of the credit balance in the Share Premium account to the debit balance (accumulated losses) of Rs. 8,733.34 crore only in the Profit & Loss A/c and the Share Premium account will accordingly get reduced.

The effect of the aforesaid proposed Share Premium Reduction, if approved and finalized, would be that the accumulated losses, which as on 31st March 2026 stood at Rs. 8,733.34 crore will be set off.

The Bank is of the view that this is the most practical and economically efficient option available to the Bank in the present scenario so as to present a true and fair view of the financial position of the Bank.

The proposed set off will present a true and fair view of the financial position of the Bank and will not affect any ratios such as Book value per share, Return on Equity (ROE), Earning per share (EPS). With this appropriation there will not be any changes in net worth of the Bank.

The Bank will be able to represent its true financial position which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also place the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plan in a time-bound manner.

The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 provides for reducing its paid-up capital by cancelling any paid-up capital which is lost, or is unrepresented by available assets. Further, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 allows a nationalized bank to appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

As the proposed utilization of Share Premium account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Section 17(2) of The Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank of India, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period.

The reduction of Share Premium account which involves set off of debit balance in P& L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium account will remain unchanged. The Book Value of the shares will also remain unchanged.

Shareholding Pattern:

S. No.	Category	Prior to the Reduction of Share Premium Account		After the Reduction of Share Premium Account	
		No. of Equity Shares Held	Percentage of shareholding	No. of Equity Shares Held	Percentage of shareholding
1	Promoter's Holding- Government of India	17,80,04,88,299	92.44%	17,80,04,88,299	92.44%
2	Non-Promoter Holding: Public	1,45,61,01,496	7.56%	1,45,61,01,496	7.56%
TOTAL		**19,25,65,89,795**	**100.00%**	**19,25,65,89,795**	**100.00%**

The rights of the shareholders and creditors are not prejudicially affected.

The Board of Directors at its meeting held on 21st May, 2026 has approved the above proposal of utilization of Share Premium account in the best interests of the Bank and its shareholders and therefore recommends the same for approval by the shareholders.

None of the Directors and Key Managerial Persons of the Bank including their relatives is interested or concerned in the aforementioned Resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

AGENDA ITEM NO 4:

Extension of tenure of Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director & Chief Executive Officer, as Whole-time Director of the Bank beyond his currently notified term which expired on 31.12.2025, from 01.01.2026 till 08.10.2027.

In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 8(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (amended vide notification dated 17.11.2022), the Central Government vide its notification eF. No. 4/3/2024 BO.I dated 8th September 2025 has extended the tenure of Shri Ajay Kumar Srivastava, Managing Director and Chief Executive Officer, Indian Overseas Bank, beyond his currently notified term which was ended on 31.12.2025, till the date of completion of his 10 years' tenure as Whole-Time Director in Indian Overseas Bank, i.e., w.e.f. 01.01.2026 up to 08.10.2027, or until further orders, whichever is earlier.

In terms of First Proviso to Regulation 17(1C) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment/reappointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Ajay Kumar Srivastava as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Brief Profile:

Shri Ajay Kumar Srivastava has assumed charge as Managing Director and CEO of Indian Overseas Bank with effect from 01.01.2023 from his posting as Executive Director of the bank since 09.10.2017.

He started his banking career as Probationary officer in 1991 with Allahabad Bank where he worked in various capacities in different parts of the country. He is an astute and hardcore banker with vast field level experience and has the distinction of having successfully led the largest and most critical areas of Uttar Pradesh, Gujarat and Delhi while working at senior level in Allahabad Bank.

After successful completion of about 27 years in Allahabad Bank he was elevated as Executive Director by Government of India, and he joined Indian Overseas Bank on 09.10.2017.

At Indian Overseas Bank as Executive Director, he had a very challenging journey. Bank was incurring losses since 2014, was in PCA since 2015 and financial parameters were in bad shape besides many other challenges. He made strategies

for each of the key areas and successfully implemented them at the ground level with the support of the Board. He served the Bank as Executive Director for more than five years and handled all the departments and portfolios during the period. The highlight of his stint as Executive Director is that he had played a very key role in bringing the Bank out of loss in March 2020 and out of PCA in September 2021. Moreover, he was the only Executive Director in the Bank for about 14 months during 2020-2021.

He was also Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) as nominated by Government of India for two years. He has also served as Director on the Board of a Regional Rural Bank in his previous Bank. He is the Director on the Board of Universal Sompo General Insurance Co Ltd.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership/Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Indian Overseas Bank: 8182 Equity Shares

None of the Directors , Key Managerial Personnel of the Bank and their relatives other than Shri Ajay Kumar Srivastava or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM.

By order of the Board of Directors
For Indian Overseas Bank

-sd/-
Raghuram Mallela
Deputy General Manager & Company Secretary

Place: Chennai
Date: 21.05.2026